

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री बाबुलाल

विपक्षी :- श्री प्रकाशचन्द्र

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 96/25

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/422

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 28.10.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पेश कर वाद विद्दो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्दो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

